न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 44/2020

GCMS CASE NO-2020/00042

सहीराम पुत्र श्री मालूराम जाति सांसी निवासी चक 2 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

......अपीलांट

बनाम

1. रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक छाबडा, सर्वजीत छाबडा, राकेश सारस्वत, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ रेस्पो.संख्या 02

—::निर्णयः:— दिनांक 12.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 05.12.2014 खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकॉर्ड के पारित किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है, अपील स्वीकृति योग्य है। अपीलांट को आरजी काश्त पर रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 में 17.00 बीघा व ख.न. 438/4 में 32.00 बीघा कुल 49.00 बीघा बारानी आरजी आवंटन पर अलौट किया गया था जिसका बाद में प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का मौका पर कब्जा भी दे दिया गया था जिस पर आज तक कब्जा मौका पर लगातार अपीलांट का चला आ रहा है। बरवक्त पुख्ता आवंटन उक्त भूमि जरिये मिस्ल संख्या 495/97 के द्वारा दिनांक 28.02.1997 को ख.न. 233/4 की 17.00 बीघा व ख.न. 438/4 की 28.00 बीघा कुल 45.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई। शेष भूमि ख.न. 438/4 की 4.00 बीघा रकबा राज घोषित कर दी गई। पुख्ता आवंटन पत्रावली के संलग्न प्रश्नोत्तरी फार्म में भी जो रिपोर्ट पटवारी/तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई थी उसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सम्वत् 2038 ता 53 लगातार कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है व नवीनीकरण भी प्रार्थी के पक्ष में इसी कदर होता रहा है। पुख्ता आवंटन मुझ अपीलांट को भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत दिनांक 28.02.1997 को पुख्ता अलौट की गई थी तत्पश्चात् उपनिवेशन विभाग के समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा खसराजात् की भूमि डी—कॉलोनी कर दिये जाने के बाद भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम लागू किये गये जिसमें अपीलांट को गैर खातेदार कृषक माना गया व धारा 18 के तहत खातेदारी अधिकार पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये जिससे तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा उक्त आदेशों की पालना में रोही बीरमाना बारानी का ख.न. 233/4 में 4.301 है. व ख.न. 438/4 में 7.084 है. के कुल 11.385 है. के खातेदारी अधिकार दिनांक 02.08.2008 प्रदान कर दिये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना को रोही बीरमाना के ख.न. 239/5 में 8.14 बीघा व ख.न. 233/4 में 22.00 बीघा व ख.न. 242/7 में 6.02 बीघा, ख.न. 242/8 में 2.11 बीघा व ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 44.00 बीघा आरजी का"त पर आवंटन थी। बरवक्त पुख्ता आवंटन जरिये मिसल संख्या 503/97 जो रकबा पुख्ता आवंटन किया गया उसमें ख.न. 233/5 में 8.14 बीघा ख.न. 233/4 में 19.00 बीघा 242/7 में 6.02 बीघा ख.न. 242/8 में 2.19 बीघा ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 41.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई व ख.न. 233/4 में 3.00 बीघा रकबा राज घोषित की गई। अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि का पुख्ता आवंटन भूमि से कतई मेल नहीं खाता जहाँ तक ख.न. 233/4 के आवंटन का प्रश्न है उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है कब्जा मुझ अपीलांट का लगातार चला आ रहा है। उपनिवेशान विभाग समाप्त हो जाने के कारण व आवंटन नियम 1970 के लागू होने पर आवंटन नियम 1975 के नियम निश्प्रभावी हो गये। अतः पुख्ता आवंटन की पत्रावजी में की गई कार्यवाही स्वतः ही निश्प्रभावी हो गई है जो कि Waste Paper की तारीफ में आती है। अप्रार्थी रेस्पोडेंट को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.12.2014 को बिना जॉच किये व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ख.न. 239/5 में 2.201 है. ख.न. 233/4 में 4.807 है. 242/7 में 1.543 है. ख.न. 242/8 में 0.748 है. ख.न. 242/10 में 1.375 है. कुल 10.372 है. बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये वे पूर्णतया गलत है क्योंकि ख.न. 233/4 की 4.301 है. बारानी भूमि के अधिकार मुझ अपीलांट को दिनांक 02.08.2008 को प्रदान किये जा चुके थे, रेस्पोडेंट को उसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को खातेदारी रिकार्ड की अनदेखी करते हुये प्रदान किये गये है, रेस्पोडेंट एक पश्चातवर्त्ती आवंटी है जबकि अपीलांट पूर्ववर्त्ती आवंटी है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 1 के ख.न. 233/4 में मात्र 5.5660 है. भूमि ही रकबा राज थी जिसमें से अपीलांट को 4.301 है. के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने के पश्चात 1.265 है. रकबा शेष था जबकि रेस्पोडेंट के नाम से ख.न. 233/4 में 4.807 है. भूमि का अमल दरामद कर दिया गया जो कि पूर्णतया गलत है। इस हद तक अपील स्वीकृति योग्य है व रेस्पोडेंट के पक्ष में दिये गये अधिकार निरस्ती येाग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील स्वीकार करते हुये अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 08.12.2014 जिसकी रूह से रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 में 4.807 है. भूमि के खातेदारी अधिकार जो दिये गये है कि हद तक खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद नोटिस तामीली रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 05.12.2014 खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड के पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्तों के खिलाफ है, निरस्ती योग्य है। उक्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 05.08.2020 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि अप्रार्थी को रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 की 4.807 है. के खातेदारी अधिकारों का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 02.08.2008 को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। प्रार्थी के अधिकारों का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया, प्रार्थी एक पूर्वर्त्ती आवंटी होने के कारण प्रथम हक प्रार्थी का बनता है। जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा तमाम रिकॉर्ड कि नकल लेने के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कागजात तैयार कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो कि ईल्म से अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुये व देरी का शमन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

चूंकि अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कि जाती है।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दि. 08.12.2014 खिलाफ कानून व खिलाफ रिकॉर्ड के पारित किया है, उक्त निर्णय अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित किया गया है व इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्तों के खिलाफ है। इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्ती योग्य है। प्रार्थी को आरजी काश्त पर रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 में 17.00 बीघा व ख. न. 438/4 में 32.00 बीघा कुल 49.00 बीघा बारानी आरजी आवंटन पर अलौट किया गया था जिसका बाद में प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का मौका पर कब्जा भी दे दिया गया था जिस पर आज तक कब्जा मौका पर लगातार प्रार्थी का चला आ रहा है व दिनांक 28.02.1997 को ख.न. 233/4 की 17.00 बीघा व ख.न. 438/4 की 28.00 बीघा कुल 45.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई।शेष भूमि ख.न. 438/4 की 4.00 बीधा रकबा राज घोशित कर दी गई। उपनिवेशन विभाग के समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा खसराजात् की भूमि डी-कॉलोनी कर दिये जाने के बाद भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम लागू किये गये जिसमें प्रार्थी को गैर खातेदार कृशक माना गया व धारा 18 के तहत खातेदारी अधिकार पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये जिससे तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा उक्त आदेशों की पालना में रोही बीरमाना बारानी का ख.न. 233/4 में 4.301 है. व ख.न. 438/4 में 7.084 है. के कुल 11.385 है. के खातेदारी अधिकार दिनांक 02.08.2008 प्रदान कर दिये गये। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना को रोही बीरमाना के ख.न. 239/5 में 8.14 बीघा व ख.न. 233/4 में 22.00 बीघा व ख.न. 242/7 में 6.02 बीघा, ख.न. 242/8 में 2.11 बीघा व ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 44.00 बीघा आरजी काश्त पर आवंटन थी। बरवक्त पुख्ता आवंटन जरिये मिस्ल संख्या 503/97 जो रकबा पुख्ता आवंटन किया गया उसमें ख.न. 233/5 में 8.14 बीघा ख.न. 233/4 में 19.00 बीघा 242/7 में 6.02 बीघा ख.न. 242/8 में 2.19 बीघा ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 41.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई व ख.न. 233/4 में 3.00 बीघा रकबा राज घोषित की गई। अप्रार्थी/रेस्पोडेंट को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.12.2014 को बिना जॉच किये व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ख.न. 239/5 में 2.201 है. ख.न. 233/4 में 4.807 है. 242/7 में 1.543 है. ख.न. 242/8 में 0.748 है. ख.न. 242/10 में 1.375 है. कुल 10.372 है. बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये वे पूर्णतया गलत है क्योंकि ख.न. 233/4 की 4.301 है. बारानी भूमि के अधिकार मुझ प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 02.08.2008 को प्रदान किये जा चुके थे, अप्रार्थी को उसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को खातेदारी रिकार्ड की अनदेखी करते हुये प्रदान किये गये है, रेस्पोडेंट एक पश्चातवर्त्ती आवंटी है जबकि अपीलांट पूर्ववर्त्ती आवंटी है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 1 के ख.न. 233/4 में मात्र 5.5660 है. भूमि ही रकबा राज थी जिसमें से अपीलांट को 4.301 है. के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने के पश्चात 1.265 है. रकबा भोश था जबकि रेस्पोडेंट के नाम से ख.न. 233/4 में 4.807 है. भूमि का अमल दरामद कर दिया गया जो कि पूर्णतया गलत है, इससे प्रार्थी के हित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रभावित हो रहे है। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण व हितबद्ध होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रा. पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रा0 पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे व अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई का मौका दिया जावे।

चूंकि प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है व अपील के निर्णय से प्रार्थी के हित प्रभावित होते है प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना है इसलिए प्रा.पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 05.12.2014 खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकॉर्ड के पारित किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है, अपील स्वीकृति योग्य है। अपीलांट को आरजी काश्त पर रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 में 17.00 बीघा व ख.न. 438/4 में 32.00 बीघा कुल 49.00 बीघा बारानी आरजी आवंटन पर अलौट किया गया था जिसका बाद में प्रतिवर्श नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का मौका पर कब्जा भी दे दिया गया था जिस पर आज तक कब्जा मौका पर लगातार अपीलांट का चला आ रहा है। बरवक्त पुख्ता आवंटन उक्त भूमि जरिये मिस्ल संख्या 495/97 के द्वारा दिनांक 28.02.1997 को ख.न. 233/4 की 17.00 बीघा व ख.न. 438/4 की 28.00 बीघा कुल 45.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई। शेष भूमि ख.न. 438/4 की 4.00 बीघा रकबा राज घोषित कर दी गई। पुख्ता आवंटन पत्रावली के संलग्न प्रश्नोत्तरी फार्म में भी जो रिपोर्ट पटवारी/तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई थी उसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सम्वत् 2038 ता 53 लगातार कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है व नवीनीकरण भी प्रार्थी के पक्ष में इसी कदर होता रहा है। पुख्ता आवंटन मुझ अपीलांट को भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत दिनांक 28.02.1997 को पुख्ता अलौट की गई थी तत्पश्चात् उपनिवेशन विभाग के समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा खसराजात् की भूमि डी–कॉलोनी कर दिये जाने के बाद भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम लागू किये गये जिसमें अपीलांट को गैर खातेदार कृषक माना गया व धारा 18 के तहत खातेदारी अधिकार पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये जिससे तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा उक्त आदेशों की पालना में रोही बीरमाना बारानी का ख.न. 233/4 में 4.301 है. व ख.न. 438/4 में 7.084 है. के कुल 11.385 है. के खातेदारी अधिकार दिनांक 02.08.2008 प्रदान कर दिये गये। रेस्पोडेन्ट रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना को रोही बीरमाना के ख.न. 239/5 में 8.14 बीघा व ख.न. 233/4 में 22.00 बीघा व ख.न. 242/7 में 6.02 बीघा, ख.न. 242/8 में 2.11 बीघा व ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 44.00 बीघा आरजी काश्त पर आवंटन थी। बरवक्त पुख्ता आवंटन जरिये मिसल संख्या 503/97 जो रकबा पुख्ता आवंटन किया गया उसमें ख.न. 233/5 में 8.14 बीघा ख.न. 233/4 में 19.00 बीघा 242/7 में 6.02 बीघा ख.न. 242/8 में 2.19 बीघा ख.न. 242/10 में 4.05 बीघा कुल 41.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई व ख.न. 233/4 में 3.00 बीघा रकबा राज घोषित की गई। अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि का पुख्ता आवंटन भूमि से कतई मेल नहीं खाता जहॉं तक ख.न. 233/4 के आवंटन का प्रश्न है उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है कब्जा मुझ अपीलांट का लगातार चला आ रहा है। उपनिवेशान विभाग समाप्त हो जाने के कारण व आवंटन नियम 1970 के लागू होने पर आवंटन नियम 1975 के नियम निश्प्रभावी हो गये। अतः पुख्ता आवंटन की पत्रावजी में की गई कार्यवाही स्वतः ही निश्प्रभावी हो गई है जो कि Waste Paper की तारीफ में आती है। अप्रार्थी रेस्पोडेंट को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.12.2014 को बिना जॉच

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

किये व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ख.न. 239/5 में 2.201 है. ख.न. 233/4 में 4.807 है. 242/7 में 1.543 है. ख.न. 242/8 में 0.748 है. ख.न. 242/10 में 1.375 है. कुल 10.372 है. बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये वे पूर्णतया गलत है क्योंकि ख.न. 233/4 की 4.301 है. बारानी भूमि के अधिकार मुझ अपीलांट को दिनांक 02.08.2008 को प्रदान किये जा चुके थे, रेस्पोडेंट को उसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को खातेदारी रिकार्ड की अनदेखी करते हुये प्रदान किये गये है, रेस्पोडेंट एक पश्चातवर्त्ती आवंटी है जबकि अपीलांट पूर्ववर्त्ती आवंटी है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 1 के ख.न. 233/4 में मात्र 5.5660 है. भूमि ही रकबा राज थी जिसमें से अपीलांट को 4.301 है. के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने के पश्चात 1.265 है. रकबा शेष था जबकि रेस्पोडेंट के नाम से ख.न. 233/4 में 4.807 है. भूमि का अमल दरामद कर दिया गया जो कि पूर्णतया गलत है। इस हद तक अपील स्वीकृति योग्य है व रेस्पोडेंट के पक्ष में दिये गये अधिकार निरस्ती योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील स्वीकार करते हुये अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 08.12.2014 जिसकी रूह से रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 में 4.807 है. भूमि के खातेदारी अधिकार जो दिये कि हद तक खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाया जावें।

राजपैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे।

बहस अपीलांट सुनी गई एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी रेस्पोडेंट को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.12.2014 को बिना जॉच किये व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ख.न. 239/5 में 2.201 है. ख.न. 233/4 में 4.807 है. 242/7 में 1.543 है. ख.न. 242/8 में 0.748 है. ख.न. 242/10 में 1.375 है. कुल 10.372 है. बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये वे पूर्णतया गलत है क्योंकि ख.न. 233/4 की 4.301 है. बारानी भूमि के अधिकार अपीलांट को दिनांक 02.08.2008 को प्रदान किये जा चुके थे, रेस्पोडेंट को उसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को खातेदारी रिकार्ड की अनदेखी करते हुये प्रदान किये गये है, रेस्पोडेंट एक पश्चातवर्त्ती आवंटी है जबकि अपीलांट पूर्ववर्त्ती आवंटी है। अतः तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित खातेदारी अधिकार दिनांक 08.12.2014 जिसकी रूह से बीरमाना का ख.न. 233/4 में 4.807 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये है कि हद तक खातेदारी अधिकार निरस्त करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि वे रोही बीरमाना का ख.न. 233/4 की 4.807 है0 भूमि की पूर्ण जांच कर दोनो पक्षों को सुनते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय दिनांक 12.08.2024 मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner